न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्याः— 385 / 2022
जीसीएमएस नं. :—2022 / 385

1. औमप्रकाश } पिसरान गोविन्दराम जाति जाट निवासी चक नं0 2
2. लालचन्द } पीबीएन तहसील व जिला हनुमागनढ।
3. गुड्डी देवी धर्मपत्नी श्री रामगोपाल जाति जाट निवासी चक नं. 5 एमओडी तहसील व जिला हनुमानगढ।

——अपीलार्थी

बनाम

1. सावित्री देवी पत्नी स्व0 श्री रजीराम जाति कुम्हार निवासी डबलीराठान हाल मक्कासर तहसील व जिला हनुमागनढ।
2. महेन्द्र पुत्र श्री रजीराम जाति कुम्हार निवासी डबलीराठान हाल मक्कासर तहसील व जिला हनुमागनढ।
3. मु0 गोमती पत्नी स्व0 श्री पतराम
4. निर्मला पुत्री स्व0 पतराम
5. शिशपाल पुत्र स्व0 पतराम

} जाति कुम्हार निवासी डबली राठान तहसील व जिला हनुमानगढ।

6. रामेश्वरी पत्नी श्री पूर्णराम
7. मदनलाल पुत्र पूर्णराम
8. दलीप पुत्र श्री पूर्णराम

} जाति कुम्हार निवासी डबलीराठान तहसील व जिला हनुमानगढ।

9. विमला पुत्री पूर्णराम पत्नी श्री भागाराम जाति कुम्हार निवासी सहजीपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ।
10. सीता देवी पुत्री श्री पूर्णराम पत्नी श्री देवीलाल जाति कुम्हार निवासी सहजीपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ।
11. श्रीमान तहसीलदार (राजस्व) हनुमागनढ।
12. श्रीमान उपपंजीयक हनुमानगढ।

—रेस्पोडेण्ट

अपील अर्न्तगत धारा 223 आरटीएक्ट
विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.09.2019

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

द्वारा सहायक कलक्टर एवं उपखंड अधिकारी, हनुमानगढ।
प्र. सं. 17/2018 अनवान सावित्री देवी बनाम पतराम आदि

उपस्थितिः—
श्री देवीलाल भांभू, अभिभाषक अपीलार्थी
श्री लालचन्द वर्मा अभिभाषक रेस्पो0 सं0 1 व 2
श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 11, 12

निर्णय दिनांक 15.06.23

1. प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 व 53 के अन्तर्गत एक वाद पेश किया जिसमें कथन किया कि स्वर्गीय जीवण पुत्र जेठाराम की चक 17 एसटीजी में 4.846 है0 व चक 5 एमओडी में 1.518 है0 कुल तादादी 6.364 है09 पुख्ता आवंटित थी। जीवणराम का सन् 1988 में देहांत हो गया जिसके तीन पुत्र पूर्णराम, रजीराम व पतराम थे, रजीराम का अपने पिता के जवीन काल में 1972 में देहान्त हो गया तथा वादीगण स्वर्गीय रजीराम के वारिस हैं। प्रतिवादी सं0 1 व स्वर्गीय पूर्णराम ने चक 7 एसटीजी की भूमि राजस्व अभिलेख में अपने नाम दर्ज करवा ली जबकि चक नं. 5 एमओडी की भूमि स्वर्गीय श्री जीवन के नाम गैर खातेदारी दर्ज है। वादीगण ने कुल 6.364 है0 भूमि में 1/3 हिस्सा के हकदार होने का कथन किया एवं इसी अनुसार हिस्सा घोषित करने एवं घोषित 1/3 हिस्सा की भूमि का अच्दी मंदी के लिहाज से विभाजन करवा कर अलग से कब्जा दिलाये जाने का अनुतोष मांगा। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 ने जवाब दावा पेश किया कि वादीगण को जीवण के पुत्र रजीराम के वारिस नहीं होने तथा रजीराम के देहान्त उपरान्त वादीया संख्या 1 ने एक व्यक्ति तुलसा पुत्र तारूराम के साथ पुर्नविवाह करने एवं वादी संख्या 2 रजीराम के पुत्र नहीं होने एवं उनका भूमि में कोई हक हिस्सा न हीं होने एवं जीवन राम द्वारा अपने जीवनकाल में पतराम व पूर्णराम के पक्ष में दिनांक 03.12.1981 को वसीयत करने का कथन करने एवं वसीयत के आधार पर चक 17 एसटीजी की भूमि प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज होने का का कथन करते हुए वाद वादी खारिज करने का कथन किया, जिसका वादी ने जबाबुल जवाब पेश

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

किया कि जीवनराम द्वारा किसी वसीयत को करने का अधिकार नहीं होने का कथन करते हुए वाद वादी स्वीकार करने का कथन किया। विद्वान न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के द्वारा वाद वादी प्रार्थमिक डिक्री किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील धारा 96 सीपीसी के प्रार्थनान्–पत्र के साथ पेश की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रश्नगत कृषि भूमि में चक 5 एमओडी की कुली 1.518 है0 कृषि भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 पतराम व स्वर्गीय पूर्णराम की वारिसान द्वारा दिनांक 24.01.2005 को अपीलांट संख्या 3 के पक्ष में सप्रतिफल बैयनामा करवाया जाकर कृषि भूमि का कब्जा अपीलांटा संख्या 3 के सुपूर्द कर दिया गया तथा अपीलाण्ट संख्या 3 के रिकार्डेड खातेदार होने पर जरिये विनिमय पत्र चक 5 एमओडी की 0.758 है0 भूमि अपीलाण्टा संख्या 1 व 2 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई। शेष 0.760 है0 भूमि अपीलांटा सं0 3 के नाम यथावत रही तथा वर्तमान में चक 5 एमओडी की कुल भूमि 1.518 है0 भूमि अपीलाण्ट्स रिकार्डेड खतोदार व काबिज कातश्कार हैं। रेस्पोडेण्ट्स को उक्त तथ्यों की भलीभांति जानकारी है इस तथ्य को छुपाकर तथा अपीलांट्स को बिना पक्षकार बनाये एकतरफा तौर पर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री प्राप्त की है। अपीलाण्ट अपीलाधीन निर्णय डिक्री से प्रभावित एवं पीडित पक्षकार होने के कारण यह अपील पेश की है। अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं होने के कारण उसे अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री का ज्ञान नहीं था ज्ञान होते ही यह अपील पेश कर दी है। अतः देरी क्षमा की जावे एवं अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे। अपीलाण्ट के अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में सीसीसी 2014 (3) पेज 632 का न्यायिक दृष्टान्त पेश किया।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं0 1 व 2 ने अपनी बहस में कथन कियाकि स्वर्गीय जीवण पुत्र जेठाराम की चक 7 एसटीजी में 4.846 है0 व चक 5 एमओडी में 1.518 है0 कुल तादादी 6.364 है09 पुख्ता आवंटित थी। जीवणराम का सन् 1988 में हो हो गया जिसके तीन पुत्र पूर्णराम, रजीराम व पतराम थे, रजीराम का अपने पिता के जवीन काल में 1972 में देहान्त हो गया तथा वादीगण स्वर्गीय रजीराम के वारिस हैं। प्रतिवादी सं0 1 व स्वर्गीय पूर्णराम ने चक 17 एसटीजी की भूमि राजस्व अभिलेख में अपने नाम दर्ज करवा ली

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

जबकि चक नं. 5 एमओडी की भूमि कभी स्वर्गीय श्री जीवन के नाम गैर खातेदारी दर्ज है। प्रश्नगत 6.364 है0 भूमि में 1/3 हिस्सा के हकदार होने होने के कारण हिस्सा घोषित करने एवं 1/3 हिस्सा की भूमि का अच्दी मंदी के लिहाज से विभाजन करवा कर अलग से कब्जा दिलाये जाने का अनुतोष मांगा जो स्वीकार किया गया है। दौराने दावा भूमि क्रय करने से क्रेता को दावा में पारित निर्णय एवं डिक्री को चुनौती देने का अधिकार नही है। दौराने दावा हुआ अन्तरिण पक्षकारों के मध्य पारित डिक्री को प्रभावित नहीं करता है। अपीलाण्ट ने मिथ्या तथ्यों के आधार पर रेस्पोडेण्ट को हैरान परेशान करने के लिए यह अपील पेश की है। अपीलाण्ट किसी भी प्रकार से प्रभावित पक्षकार नहीं है। अपीलाण्ट जो दौराने दावा क्रेता है, अधीनस्थ न्यायालयत में निर्णय व डिक्री से बाध्य है तथा उक्त निर्णय व डिक्री की वैधता को चुनौति देने के अधिकारी नहीं है। अपीलाण्ट प्रभावित पक्षकार नहीं है। अपीलाण्ट ने मियाद बाहर अपील पेश की है। अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का कोई कारण नहीं बताया है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरडी 2016 पेज 264, सीसीसी 2015 (2) पेज 717, आरआरडी 1989 पेज 224, सीसीसी 2014 (1) पेज 855 एस.सी., आरआरडी 1994 पेज 710, आरआरउी 1988 पेज 94 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र सशपथ होने एवं अपील का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयस्कर होने के कारण प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

7. अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 ने प्रश्नगत भूमि खातेदारी अधिकारों की घोषणा एवं खाता विभजान का अनुतोष मांगा है जो विचारण न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय के द्वारा प्राथमिक डिक्री किया गया है। प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार अपीलाण्ट्स प्रश्नगत कृषि भूमि चक नं. 5 एमओडी की कुल 1.518 है0 के सद्भावी क्रेता है एवं काबिज खातेदार है। इसलिए वे प्रकरण में आवश्यक थे किन्तु इन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया है। अपीलाण्ट अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री से प्रभावित एवं पीड़ित पक्षकार होने के कारण बतौर तृतीय पक्षकार अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाती है।

8. प्रश्नगत कृषि भूमि में चक 5 एमओडी की कुल 1.518 है0 कृषि भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 पतराम व स्वर्गीय पूर्णराम की वारिसान द्वारा दिनांक

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

24.01.2005 को अपीलांट संख्या 3 के पक्ष में साप्रतिफल बैयनामा करवाया जाकर कृषि भूमि का कब्जा अपीलांटा संख्या 3 के सुपूर्द कर दिया गया तथा अपीलाण्टा संख्या 3 के रिकार्डेड खातेदार होने पर जरिये विनिमय पत्र चक 5 एमओडी की 0.758 है0 भूमि अपीलाण्टा संख्या 1 व 2 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई। शेष 0.760 है0 भूमि अपीलांटा सं0 3 के नाम यथावत रही तथा वर्तमान में चक 5 एमओडी की कुल भूमि 1.518 है0 भूमि अपीलाण्ट्स रिकार्डेड खातेदार व काबिज कातश्कार हैं। इसलिए वे अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री से प्रभावित एवं पीड़ित एवं आवश्यक पक्षकार हैं। इन्हें सुनवाई का अवसर दिया जाना उचित है। अतः अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है।

9. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है एवं सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ का अपीलपाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.09.2019 को चक 5 एमओडी खाता संख्या 77/70 सम्वत 2054 तादादी 1.518 है0 भूमि की हद तक निरस्त किया जाता है, एवं प्रकरण विचारण न्यायालय का इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को उपरोक्त भूमि की हद तक सुनकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय का शेष अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

10. निर्णय आज दिनांक 15.6.23 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

15/6/23

(करतारसिंह पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ

डिक्री व सीगे अपील
न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़
बइजलास करतार सिंह पूनियॉ आर0ए0एस0

अपील संख्याः— 385/2022
जीसीएमएस नं. :—2022/385

1. औमप्रकाश } पिसरान गोविन्दराम जाति जाट निवासी चक नं0 2
2. लालचन्द } पीबीएन तहसील व जिला हनुमागनढ।
3. गुड्डी देवी धर्मपत्नी श्री रामगोपाल जाति जाट निवासी चक नं. 5 एमओडी तहसील व जिला हनुमानगढ।

——अपीलार्थी

बनाम

1. सावित्री देवी पत्नी स्व0 श्री रजीराम जाति कुम्हार निवासी डबलीराठान हाल मक्कासर तहसील व जिला हनुमागनढ।
2. महेन्द्र पुत्र श्री रजीराम जाति कुम्हार निवासी डबलीराठान हाल मक्कासर तहसील व जिला हनुमागनढ।
3. सु0 गोमती पत्नी स्व0 श्री पतराम } जाति कुम्हार निवासी डबली
4. निर्मला पुत्री स्व0 पतराम } राठान तहसील व जिला
5. शिशपाल पुत्र स्व0 पतराम } हनुमानगढ।
6. रामेश्वरी पत्नी श्री पूर्णराम } जाति कुम्हार निवासी डबलीराठान
7. मदनलाल पुत्र पूर्णराम } तहसील व जिला हनुमानगढ।
8. दलीप पुत्र श्री पूर्णराम }
9. विमला पुत्री पूर्णराम पत्नी श्री भागाराम जाति कुम्हार निवासी सहजीपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ।
10. सीता देवी पुत्री श्री पूर्णराम पत्नी श्री देवीलाल जाति कुम्हार निवासी सहजीपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ।
11. श्रीमान तहसीलदार (राजस्व) हनुमागनढ।
12. श्रीमान उपपंजीयक हनुमानगढ।

—रेस्पोडेण्ट

अपील अर्न्तगत धारा 223 आरटीएक्ट
विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.09.2019

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

द्वारा सहायक कलक्टर एवं उपखंड अधिकारी, हनुमानगढ।
प्र. सं. 17/2018 अनवान सावित्री देवी बनाम पतराम आदि

आज यह अपील रूबरू हाजिर श्री देवीलाल भांभू, अभिभाषक अपीलार्थी, श्री लालचन्द वर्मा अभिभाषक रेस्पो0 सं0 1 व 2, श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 11, 12 की बहस समायत की जाकरअपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है एवं सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ का अपीलपाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.09.2019 को चक 5 एमओडी खाता संख्या 77/70 सम्वत 2054 तादादी 1.518 है0 भूमि की हद तक निरस्त किया जाता है, एवं प्रकरण विचारण न्यायालय का इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को उपरोक्त भूमि की हद तक सुनकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय का शेष अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री यथावत रखा जाता है।

डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 15.6.23 को जारी की गई।

15/6/23
(करतार सिंह पूनियॉ) आर.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ